प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली   दिनाँक 25.10.2025

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 261/25 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/ 352/109(1)/333/117(2) बीएनएस में प्रकाश में आये 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 23.10.2025 को वादी श्री प्रवेन्द्र उर्फ भुट्टू पुत्र करण सिंह निवासी ग्राम बदरखा, थाना छपरौली, जनपद बागपत द्वारा थाना छपरौली पर लिखित तहरीर दी गई कि बच्चों द्वारा पटाखे जलाने के विवाद से क्षुब्ध होकर अभियुक्तों 1-मेहरूद्दीन, 2. यामीन, 3. सलीम, 4. वसीम, 5. शादीन, 6. इस्लाम, 7. समीर पुत्र इस्लाम, 8. सैम पुत्र इस्लाम, 9. सादा उर्फ शमशाद पुत्र हनीफ, 10. आश मोहम्मद पुत्र सादा, 11. आश पुत्र सादा, 12. आसिफ पुत्र सादा, 13. चैपी पुत्र सादा, 14. प्रवीन पुत्र इस्लाम, 15. 02 महिला तथा अन्य अज्ञात अभियुक्त समस्त निवासी ग्राम बदरखा थाना छपरौली द्वारा एक राय होकर लाठी-डंडे, तबल व अन्य हथियार लेकर वादी के घर में घुस गए। अभियुक्तों द्वारा वादी एवं उसके परिजनों के साथ जान से मारने की नीयत से मारपीट, गाली-गलौज की गई, जिससे वादी प्रवेन्द्र, उसका भाई अरविन्द, पिता करण सिंह, माता, पत्नी एवं भाभी गंभीर रूप से घायल हो गए। मारपीट के दौरान वादी के पिता के दाहिने पैर एवं वादी के बाएं हाथ की हड्डी टूट गई। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के

आधार पर थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 261/25 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/352/109(1)/333/117(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 261/25 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/352/109(1)/333/117(2) बीएनएस में प्रकाश में आये 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उक्त अभियोग में दिनांक 23.10.2025 को 02 अभियुक्ता सहित अन्य 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शमशाद पुत्र जुम्मा उर्फ जुम्मादीन नि0 ग्राम बदरखा थाना छपरौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-व0उ0नि0 श्री गवेन्द्रपाल सिंह थाना छपरौली जनपद बागपत।

2-उ0नि0 श्री अमित गोला थाना छपरौली जनपद बागपत।

3-का0 411 पीयूष थाना छपरौली जनपद बागपत।

4-का0 594 सरफराज थाना छपरौली जनपद बागपत।